56

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 070658

"जय बजरंग सेवा ट्रस्ट"

ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख)

स्टाम्प शुल्क–1140/रूपये

इस ट्रस्ट डी0 डी0 (न्यास विलेख) की आज दिनांक 13.08.2019 को बनाया गया है जिसके निर्माता प्रबन्धक श्रीराम यादव पुत्र बाल गोविन्द यादव निवासी ग्राम लोरिका पोस्ट खजुरहवॉ तहसील मड़ियाहूँ जिला–जौनपुर उत्तर प्रदेश है।

1– संस्था का नामः– जय बजरंग सेवा ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा। जिसका पता ग्राम–लोरिका पोस्ट खजुरहवॉ तहसील मड़ियाहूँ जिला–जौनपुर उत्तर प्रदेश पिन कोड नं0 222161 है।

2– कार्य क्षेत्रः– ट्रस्ट (न्यास) का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा।

3– ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यः–

निम्नलिखित हैः–

(1) बालक, बालिकाओं को क्षैक्षणिक विकास के लिए निम्न स्तर से उत्त स्तर तक विद्यालयों/कालेजो की स्थापना एवं संचालन करना।

(2) सदाचार एवं आध्यामिक विकास के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि की व्यवस्था करना।

(3) पर्यावरण प्रदूषण एवं बृक्षारोपड़ एवं वन्य जीव पर कार्यकम बनाना व संचालन करना।

(4) दैव्यि आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना।

(5) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित निम्न स्तर से उच्च स्तर तक संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था करना।

(6) प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक क्षिक्षा की व्यवस्था करना।

(7) उर्दू शिक्षा, विकलांग शिक्षा एवं बालश्रम बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना।

(8) बी0 एड0, डी0 एल0 एड0 शिक्षा की व्यवस्था एवं संचालन करना।..............2/

श्रीराम यादव

११६८ १३-८-१९

SUB TREASURY OFFICER
09 AUG 2019

श्रीराम यादव पुत्र श्री गोविन्द सा० लौरिका जय बजरंग सेवा ट्रस्ट लौरिका प० व त० मछलीशहर जौनपुर

१०००२८८८११२२

उप निबन्धक मड़ियाहूं जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश
सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 372748

(2)

(9) स्वास्थ सेवा हेतु प्राथमिक उपचार केन्द्र अस्पताल, जन स्वास्थ केन्द्र स्वास्थ केन्द्र मेडिकल कालेज, पैरामेडिकल कालेज, फार्मेसी कालेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजत्रच होम्यों पैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना एवं संचालन करना।

(10)विधि महाविद्यालय एवं इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना एवं संचालन।

(11)महिला कल्याण हेतु कार्यकम बनाना एवं संचालन करना।

(4) कार्यालय पदाधिकारी— निम्नलिखित है:—

क0सं0	नाम	पिता/पति नाम	पता	पद
1—	श्रीराम यादव	बालगोविन्द यादव	लोरिका पो0 खजुरहवां मड़ियाहूँ जौनपुर।	प्रबन्धक
2—	निर्मला देवी	अरूण कुमार यादव	लोरिका पो0 खजुरहवां मड़ियाहूँ जौनपुर	अध्यक्ष
3—	अरूण कुमार यादव	श्रीराम यादव	लोरिका पो0 खजुरहवां मड़ियाहूँ जौनपुर।	कोषाध्यक्ष

(5) जय बजरंग सेवा ट्रस्ट में तीन सदस्य/पदाधिकारी होगें। जो आजीवन ट्रस्टी होगें। किसी सदस्य की मृत्यु के उपरान्त रिक्त के पद पर प्रबन्धक श्रीराम यादव पुत्र बालगोविन्द यादव के परिवार का होगा।

(6) प्रबन्धक श्रीराम यादव पुत्र बालगोविन्द यादव मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र अरूण कुमार यादव पुत्र श्रीराम यादव प्रबन्धक होगे। तथा प्रबन्धक अपने कार्यकाल में अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करेगा।..................................3/

श्रीराम यादव

आवेदन सं०: 201900985005834

न्यास पत्र

बही सं०: 4 | रजिस्ट्रेशन सं०: 56 | वर्ष: 2019

प्रतिफल- 15000 स्टाम्प शुल्क- 1140 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 560

श्रीरामयादव

श्री श्रीराम यादव ,
पुत्र श्री बाल गोविन्द यादव
व्यवसाय : कृषि
निवासी: लोरिका तह0 मडियाहूं,जौनपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 14/08/2019 एवं 11:55:26 AM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय कुमार
उप निबंधक :मडियाहूं
जौनपुर
14/08/2019

इन्दु प्रकाश सिंह
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 39AA 372749

(7) बैठक तथा कोरम:

आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है। सभी बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का कोरम सदस्यों/पदाधिकारियों का 2/3 होगा।

(8) सूचना अवधि:–

बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की सामान्य बैठक की सूचना सभी पदाधिकरियों को कम से कम 5 दिन पूर्व देनी होगी। विशेष बैठक की सूचना एक दिन पूर्व देना आवश्यक है।

(9) रिक्तियां या पद समाप्ति:–

1– मुत्यु होने पर।
2–दिवालिया होने पर।
3–ट्रस्ट के उद्देश्य के विरूद्ध कार्य करने पर।
4–लगातार तीन बैठक में अनुपस्थित रहने पर।
5–न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
6–स्वत: त्याग पत्र देने पर।

(10) कार्यकाल:–

बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का कार्यकाल आजीवन होगा।

(11) एकाउन्ट/आडिट या आय–व्यय का लेखा परीक्षण:–

ट्रस्ट (न्यास) की वर्ष भर के आय का लेखा परीक्षण किसी पंजीकृत आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

(12) यह किसी ट्रस्ट के डीड (विलेख) में निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्टीज द्वारा दान–चन्दा, अनुदान, आदि का प्रबन्धन किया जायेगा। जिसे ट्रस्ट के कोष का सम्पत्ति समझा जायेगा।

(13) ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों का कार्य एवं अधिकार:–

प्रबन्धक–

1– शान्ति व्यवस्था कायम करना।..4/

आवेदन सं०: 201900985005834

वही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 56 वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री श्रीराम यादव, पुत्र श्री बाल गोविन्द यादव

निवासी: लोरिका तह0 मडियाहूं,जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री राधाकृष्ण शर्मा , पुत्र श्री स्व0 अमरनाथ शर्मा

निवासी: गौरा,तह0 मडियाहूं,जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री अनिल कुमार शुक्ल , पुत्र श्री हरिशंकर शुक्ल

निवासी: छांगापुर ,तह0 मडियाहूं,जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

अजय कुमार
उप निबंधक : मड़ियाहूं
जौनपुर

इन्दु प्रकाश सिंह
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये
रु.20
Rs.20
TWENTY RUPEES
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 39AA 372750

2–बैठक की तिथि एवं समय स्थान निर्धारण करना।

3–बैंठक में प्रस्ताव रखना।

4–ट्रस्ट (न्यास) का प्रशासक/व्यवस्थापक होगा।

5–ट्रस्ट के प्रशासन सम्बन्धित रिकार्ड को अपने पास सुरक्षित रखना। व ट्रस्ट के सम्पत्ति की सुरक्षा करना अथवा समयानुसार उसका प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6–समय–समय पर आयोजित बैठको में पारित प्रस्ताव से निर्णयों को अंतिम रूप देना तथा उन्हे कियान्वित करना।

7– बैठक में बिघ्न पहुँचाने वाले दोषी कर्मचारियों को बैठक से निष्कासित करना। तथा उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही करना। एवं त्याग पत्र स्वीकार करना।

8–ट्रस्ट की चल–अचल सम्पत्ति की देख–भाल करना एवं सुरक्षा करना तथा उनके सम्बन्धित अभिलेखों/दस्तावेजों अथवा रिकार्डो को अपने पास सुरक्षित करना।

9– बैठक की कार्यवाही करना। तथा उनको रजिस्टर पर नोट करना या किसी से नोट करवाना।

10– ट्रस्ट के विकास हेतु अनुदान प्राप्त करना। तथा सम्पूर्ण सम्पत्ति एवं धनराशियों को प्रयोग करना एवं उनको सुरक्षित करना।

अध्यक्षः–

(1) बैठक की अध्यक्षता करना।

(2) बैठक को बुलाना।

कोषाध्यक्षः–

(1) आय–व्यय का लेखा जोखा रखना।

(2) धनराशि को मान्यता प्राप्त बैंक में जमा करना।

(3) संख्या के प्रगति का प्रचार प्रसार करना।..5/

श्री राम यादव

११६२

१२-८-२०

१२-८-२०

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 39AA 963426

(14) ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों के संशोधन प्रक्रिया भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत प्रबन्धक/अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(15) ट्रस्ट द्वारा अधिकृत व्यक्ति:–

ट्रस्ट के सृजन/निर्माण/रजिस्ट्रेशन व अन्य सभी कार्य हेतु अधिकृत व्यक्ति ट्रस्ट का प्रबन्धक होगा।

(16) कानूनी कार्यवाही:–

ट्रस्ट द्वारा उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व ट्रस्ट के प्रबन्धक को होगा मुकदमें की पैरवी ट्रस्ट के खर्चे पर की जायेगी। सारे कानूनी कार्यवाही भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत किया जायेगा।

(17) जय बजरंग सेवा समिति को शासनादेश संख्या–9/2016/835/15.07.2016–1 (29)/2014 के तहत जय बजरंग सेवा ट्रस्ट द्वारा कराया जा रहा है। जिसका प्रमाण पत्र संख्या 1726/2002–3 है।

जय बजरंग सेवा समिति के नाम से कोई चल व अचल सम्पत्ति नही है। आम सभा में तीन चौथाई सदस्यों ने सर्व सम्मिति से जय बजरंग सेवा समिति को जय बजरंग ट्रस्ट में परिवर्तन का अनुमोदित किया है।

(18) निरस्तीकरण की कार्यवाही:–

ट्रस्ट के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही भारतीय ट्रस्ट के अधिनियम के अन्तर्गत की जायेगी। विघटन या विघटित होने पर दूसरे ट्रस्ट खोलने या नाम परिवर्तित करने अथवा स्थान परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार ट्रस्ट के प्रबन्धक/अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का होगा। यह विनियम ट्रस्ट के मुख्य डीड द्वारा पूर्व शक्ति व प्रभाव से पालन किया जायेगा।

तहरीर तारीख–13.08.2019 ....6/

श्रीराम यादव

११६३ / ११५६६ १३-८-१८

२० वीरस्टू.

१२/२०

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 39AA 963427

(19) ट्रस्ट का बैंक खाता जय बजरंग सेवा ट्रस्ट का राष्ट्रीय कृत बैंक में खोला जायेगा। जिसका संचालन प्रबन्धक के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह ट्रस्ट के नियमों व विनियमों की प्रमाणित प्रति है।

हस्ताक्षर प्रबन्धक–

(2) ट्रस्ट (न्यास) हित में शाखा संस्थाओ के संचालन हेतु उप कमेटीयों के गठन एवं संचालन करना।

जैसे:

1– ट्रस्ट हित में शाखा संस्थाओं के संचालन हेतु उप कमेटियों, जिलाध्यक्ष, जिला सचिव, आदि का गठन एवं संचालन।

2–संस्था का वार्षिक बजट एवं रिपोर्ट तैयार करना।

3–कर्मचारी की नियुक्ति पदोन्नति/पदच्युत नियमिती करण एवं अन्य कार्यवाही करना।

4–ट्रस्ट के धन से ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूलों, कालेजों आदि के निर्माण व स्थापना एवं अन्य विकास कार्यो को करना।

5– कोई ट्रस्टी (न्यास सदस्य) ट्रस्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नही कर सकते है।............7/

श्री राम यादव

११६४

१२-८-५८

२०वीरा रु.

१८-२.

सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 39AA 963430

शपथ–पत्र

यह कि इस ट्रस्ट (न्यास) की स्थापना का मुख्य उद्‌देश्य भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित आध्यात्मिक शिक्षा/स्वास्थ्य संस्कृति की व्यवस्था करना जागरूकता शिक्षा/स्वास्थ्य संस्कृति द्वारा राष्ट्रीय जन जागृति का कार्य करना तथा शिक्षा के विकास हेतु विकास कार्यो में प्रोत्साहन करना है।

यह की ट्रस्ट (न्यास) की स्थापना हेतु ट्रस्ट के संस्थापक श्रीराम यादव, निर्मला देवी, अरूण कुमार यादव ने 5000/पांच हजार रूपये का योगदान किया गया है जो 15000/हजार रूपये योगदान स्वरूप होगा।

श्रीराम यादव

हस्ताक्षर–

गवाह के हस्ताक्षर–

1– राधाकृष्ण शर्मा पुत्र स्व0 अमरनाथ शर्मा साकिन गौरा–तहसील मड़ियाहूँ जौनपुर।

2– अनिल कुमार शुक्ल पुत्र हरिशंकर शुक्ल साकिन मौजा–छांगापुर तह0 मड़ियाहूँ जौनपुर।

............8/

११६५ / ११६८

१५-८-१८

२०

१८-२०

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 963431

(8)

आज दिनांक 13.08.2019 को यह डीड तहरीर कराकर सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की गयी।

प्रारूप कर्ता– राधाकृष्ण शर्मा एडवोकेट तहसील मड़ियाहूँ जौनपुर।

टाईपिस्ट– राम पाल तहसील परिसर मड़ियाहूँ जौनपुर। राम पाल

श्रीराम यादव

आवेदन सं०: 201900985005834

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 31 के पृष्ठ 205 से 220 तक क्रमांक 56 पर दिनाँक 14/08/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय कुमार

उप निबंधक : मड़ियाहूं

जौनपुर

14/08/2019

बैठक

आज दिनांक 18-08-2019 को पूर्व प्रदत्त सूचना के अनुसार जय बजरंग सेवा ट्रस्ट नोरिका मड़ियाहूँ जौनपुर की एक आवश्यक बैठक अध्यक्ष श्रीमती निर्मला देवी की अध्यक्षता में ट्रस्ट कार्यालय पर सायं 5 बजे सम्पन्न हुयी बैठक का कोरम पूर्ण है बैठक में निम्नलिखित निर्णय सर्व सम्मत से लिया गया।

1- ट्रस्ट के सदस्य एवं कोषाध्यक्ष के पद पर अरुण कुमार यादव S/o श्रीराम यादव का चयन किया गया है। परन्तु उन्होने अभी तक सदस्यता शुल्क 5000= नही जमा किया है। अत: उन्हे ट्रस्ट के सदस्य एवं कोषाध्यक्ष के पद से हटाया जा रहा है। उनके स्थान पर कोमल देवी पत्नी सौरभ कुमार यादव को ट्रस्ट में सदस्य एवं कोषाध्यक्ष पद पर कार्य करेंगी उन्होने सदस्यता शुल्क 5000=00 जमा कर दिया है।

अन्त में अन्य किसी प्रस्ताव के अभाव में अध्यक्ष ने सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की घोषणा किया।

कोमल
कोषाध्यक्ष

श्रीराम यादव
प्रबन्धक

निर्मला
अध्यक्ष

प्रबन्धक
जय बजरंग सेवा ट्रस्ट
नोरिका, मड़ियाहूँ, जौनपुर